

## प्रेस नोट दिनांक-19.11.2020

(1). दिनांक 18.11.2020 को पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में स्थापित महिला हेल्पडेस्क का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान हेल्पडेस्क में सुलहनामा की फाइल व हेल्पडेस्क में उपलब्ध आगन्तुक रजिस्टर व अन्य रजिस्ट्रों का अवलोकन कर निरीक्षण किया गया। महिला हेल्पडेस्क में कार्यरत महिला कर्मियों को निर्देश दिये गये कि थाना क्षेत्र की एनएम, आगंनबाड़ी कार्यकर्त्री, उच्चाधिकारीगणों, प्रभारी निरीक्षक, हल्का प्रभारी, बीट आरक्षी इनका नम्बर कम्प्यूटर में फीड किया जाये।

इसके पश्चात महोदय द्वारा थाना मऊ में थाना बरगढ़ एवं थाना मऊ के विवेचकों का अर्दली रूम किया गया। लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा की एवं लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। अर्दली रूम में सीओ मऊ श्री सुबोध गौतम, प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ व बरगढ़ व वाचक पुलिस अधीक्षक एवं थाना मऊ व बरगढ़ के विवेचकगण उपस्थित रहे।

(2). दिनांक-19.11.2020 को राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय चित्रकूट में श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई चित्रकूट की बैठक आयोजित की गयी। महोदय द्वारा समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि बच्चों से सम्बन्धित मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें एवं S.B.R. भरकर न्यायालय प्रेषित करें।

गोष्ठी में श्री रामप्रकाश क्षेत्राधिकारी राजापुर, श्री रामबाबू विश्वकर्मा जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी गुमशुदा सेल, श्री संजय सिंह बाल संरक्षण अधिकारी, श्री पारीक्षित D.T.R.P., प्रिया माथुर वन स्टॉप सेण्टर, मोनू सिंह, चाइल्ड लाइन कोर्डिनेटर संजय सिंह एवं समस्त थानों से पुलिस बाल कल्याण अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 100/14 धारा 147/148/149/286/504/506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त अहिवरन पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार शुक्ला थाना मऊ
2. आरक्षी ज्ञान सिंह

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 19.11.2020 को एण्टी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम खमरिया, घुरेटनपुर, सेठापुरवा में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम सेमरा, पनहाई, हर्दीकलां में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा ग्राम नादिन कुर्मियान में स्व0 श्री महादेव इण्टर कॉलेज में एवं कस्बा राजापुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनन्दी माता मंदिर एवं कस्बा मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर, एण्टी रोमियो टीम थाना बहिलपुरवा द्वारा सेमरदहा में, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा रामनगर में तथा एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर विमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181,

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बॉरों में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बॉरों में पूछा गया एवं आवश्यकता पडने पर सम्बन्धित थाना/एण्टी रोमियो टीम व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर के आत्मविश्वास को बढ़ाया गया एवं महिला अधिकारों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज एससी/एसटी चित्रकूट द्वारा दिनांक-19.11.2020 को मु0अ0सं0 09/14 धारा 376/511/354 भादवि0 व 3(1)11 एससी0/एसटी एक्ट के आरोपित अभियुक्त को सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में प्रभावी पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में श्री सुबोध गौतम क्षेत्राधिकारी मऊ एवं पैरोकार आरक्षी ओवेश खां द्वारा कड़ी मेहनत कर चिन्हित मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। अभियोजन अधिकारी श्री जगतपाल यादव द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी चित्रकूट द्वारा थाना मऊ के मु0अ0सं0 09/14 धारा 376/511/354 भादवि0 व 3(1)11 एससी0/एसटी एक्ट के आरोपित अभियुक्त रामजी केवट पुत्र श्री श्यामलाल निवासी बौसरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को धारा 354 भादवि0 में 03 वर्ष के कठोर कारावास से एवं 3000/- रुपये के आर्थिक दण्ड तथा अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास से व धारा 3(1)11 एससी0/एसटी में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा एवं धारा 376/511 भादवि0 का अपराध सिद्ध न हो पाने के कारण धारा 376/511 भादवि0 में दोषमुक्त किया गया।

(6). आज दिनांक 19.11.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नि के झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती बउआ देवी पुत्री श्री सदल सोनी निवासी चमड़ा मण्डी के पीछे कोत कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति श्री दीपक सोनी एवं ससुरालीजन उनके साथ मारपीट करते एवं अतिरिक्त दहेज की मांग करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में नियुक्त उ0नि0 श्री बैजनाथ प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र व महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा श्रीमती बउआ देवी की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर उसने पति श्री दीपक सोनी एवं ससुरालीजनों से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों ने विवाद न करने की बात कही तथा पति श्री दीपक सोनी द्वारा अपनी पत्नी से दुबारा मारपीट न करने की बात कही गयी। इस पर दोनों पक्षों में आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर तथा दोनों पति-पत्नी को पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(7). यातायात माह के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 19.11.2020 को यातायात उ0नि0 श्री योगेश कुमार यादव द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने हेतु, ट्राफिक चौराहा कर्वी, बेड़ी पुलिया, देवांगना, चकरेही चौराहा में वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान तीन सवारी, बिना मास्क, बिना हेलमेट. ओवर स्पीड एवं बिना

सीटबेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 129 वाहनों से 132000/-रुपये पेंडिंग ई-चालान किया गया। इस दौरान ट्राफिक चौराहा एवं सोनेपुर रोड में आम जनमानस को एवं वाहन चालकों को पम्पलेट्स के माध्यम से यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया तथा वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गयी।